न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-80/2011

श्यामलाल पुत्र पोखरमल जाति ब्राहम्ण निवासी ठेडी तहसील फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर जरिये मुखतयार सांवरमल पुत्र उमाराम जाति ब्राहम्ण निवासीठेडी तहसील फतेहपुर जिला सीकर ।

---अपीलान्ट---

---बनाम---

1- सीताराम पुत्र पोखरराम
2- कृष्णकुमार पुत्र मेघराम
3- जगदीश पुत्र मेघाराम
4- बुद्धिप्रकाश पुत्र मेघाराम
5- रविप्रकाश पुत्र दुर्गादत्त
6- महावीर पुत्र दुर्गादत्त
7- शीशपाल पुत्र दुर्गादत्त (फौत)
7/1-सुज्जन कुमार पुत्र शीशपाल
7/2-झुमरमल पुत्र शीशपाल
7/3-मुरारीलाल पुत्र शीशपाल
7/4-सीताराम पुत्र शीशपाल
8- रामकुमार (फौत)
9- पन्नालाल पुत्र लच्छीराम
10-वासुदेव पुत्र लच्छीराम
11- वेणीप्रसाद पुत्र लच्छीराम
12- शुभकरण पुत्र लच्छीराम
13- श्यामसुन्दर पुत्र भवानीराम

जाति ब्राहम्ण निवासीगण ठेडी तहसील फतेहपुर जिला सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

14- तहसीलदार फतेहपुर शेखावाटी भू-धारक राजस्थान सरकार ।

15- राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर सीकर ।

16-अतिरिक्त तहसीलदार रामगढ शेखावाटी सीकर ।

17- बनवारीलाल पुत्र स्व0 पोखरमल जाति ब्राहम्ण निवासी ठेडी तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0 हाल ग्राम पोस्ट कोहिना तहसील तारानगर जिला चूरू ।

---रेस्पोडेन्टस्---

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री
दिनांक 23-3-2011 द्वारा उप
खण्ड अधिकारी फतेहपुर ।
---0---

उपस्थिति-

1- श्री महेशकुमार जांगिड एडवोकेट- अपीलान्ट

2- श्री राजेन्द्रकुमार सैनी रेस्पोडेन्ट सं0-13

3- श्री किशोर कुमार सियाग एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 1.12.2017

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं0-13 ने अदालत मातहत में दावा उद्घोषणा एवं रेकार्ड दुरूस्ती का पेश कर निवेदन किया कि ग्राम ठेडी की आराजी ख0नं0 215/299 रकबा 2.9000 हैक्टर, ख0नं0 217 रकबा 2.6000 हैक्टर, ख0नं0 218 रकबा 4.7400 हैक्टर कुल किता-3 रकबा 10.2400 हैक्टर स्थित है जिसमें वादीगण प्रत्येकका 1.706667, 1.706667 हैक्टर है । जब पोखरराम की मृत्यु हुई तब उनकी विरासतन खातेदारी उनके तीनों पुत्र श्यामलाल, बनवारीलाल व सीताराम के नाम दर्ज हुई । किन्तु राजस्व अधिकारियों ने वादी संख्या-1 का नाम राजस्व रेकार्ड में शोभाराम दर्ज कर दिया । तथा प्रतिवादी सं0-2 का नाम प्रभातीलाल गलत दर्ज कर दिया । जबकि वादी सं0-1 का नाम श्यामलाल एवं वादी सं0-2 का नाम बनवारीलाल है। जिसको दुरूस्त कराने के अधिकारी वो है ।

उक्त आराजीयात के अलावा अन्य पुश्तैनी आराजी भी है । जिन पर प्रतिवादी सं0-8 से 13 का कब्जा काश्त है ।वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजो में आपस में काफी प्रेम था जिससे उन्होने उक्त आराजीयात का मौखिक रूप से विभाजन कर लिया था । जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी सं0-1 से 7 के पूर्वज दादा चूनाराम, लादूराम के हिस्से में दावा में वर्णित आराजीयात आयी तथा प्रतिवादी सं0- 8 से 13 के पूर्वज दादा बींजाराम के हिस्से में अन्य पुश्तैनी भूमियां आयी है। इस प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज अपने अपने हिस्से में आई भूमियों पर काबिज काश्तकार रहे हैं । विभाजन के बाद उक्त विवादित आराजी पर प्रतिवादी सं0-8 से 13 के पूर्वज एवं स्वयं प्रतिवादी सं0-8 से 13 का कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है । इन आराजीयात पर वादीगण एवं प्रतिवादी सं0-1 से 7 के पूर्वज एवं वर्तमान में वादीगण एवं प्रतिवादी सं0-1 से 7 का कब्जा काश्त है । प्रतिवादी सं0- 8 से 13 के पूर्वज स्व0 बींजाराम ने नाम हटाने का मन किया किन्तु ज्यादा शिक्षित नहीं होने से राजस्व रेकार्ड से नाम नहीं हटा किन्तु मौके से कब्जा हटा लिया। कब्जा वादीगण एवं प्रतिवादी सं0-1 से 7 का है किन्तु राजस्व रेकार्ड में बींजा का नाम रहने से वर्तमान में प्रतिवादी सं0-8 से 13 का नाम चला आ रहा है । जिसको दुरूस्त कराने के वादीगण हकदार है । अतः दावा स्वीकार कर उक्त आराजी में से प्रतिवादी सं0-8 से 13 का नाम हटाया जाव जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी सं0-1 से 7 का नाम समान रूप से दर्ज किया जावे । अदालत मातहत ने वादीगण का दावा आंशिक स्वीकार कर लिया जिसमें उक्त विवादित आराजी पर शोभाराम, प्रभातीलाल, सीताराम पि0 पोखरमल के स्थान पर श्यामलाल, बनवारीलाल, सीताराम पि0 पोखरराम किये जाने के आदेश दिये। जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । पक्षकार एक ही पूर्वज की सन्ताने हैं जिसकी वंशावली दावे में दर्ज की गई है । पक्षकारान के पूर्वज भूराराम, लच्छीराम, पोखरमल शामिल में ही आवास निवास करते थे । तथा संयुक्त रूप से आराजी ख0नं0 215/299, 217, 218, 216, 238, 283, 48 तथा ग्राम सांजासर की आराजी ख0नं0 44 को काश्त करते थे ।उक्त आराजी

को पक्षकारों के पूर्वजो ने आपस में बांट लिया था जिसमें ख0नं0 215/299, 217, 218 अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या-1 से 7, 17 के पूर्वज भूराराम व पोखरमल के हिस्से में रही तथा आराजी ख0नं0 48, 216, 238/2, 283 वाके ग्राम ठेडी तथा खसरा नं0 44 वाके ग्राम सांजासर रेस्पोडेन्ट सं0-8 से 13 के पूर्वज लच्छीराम के हिस्से में रही पक्षकार इसी बाहमी बंटवारे के अनुसार काबिज काश्तकार है । जिसकी ताईद प्रति-वादीगण के इकबालिया जबाब दावा से होती है। किन्तु अदालत मातहत ने इस तथ्य पर कोई गौर न कर अपना निर्णय दिया है ।बाहमी बंटवार के अनुसार प्रतिवादी सं0-8 से 13 का नाम हजफ न कर अदालत मातहत ने कानूनी भूल की है। दावे का किसी भी प्रतिवादी ने कोई खण्डन नहीं किया। प्रतिवादीगण ने दावे में राजीनामा किया है । इस तथ्य पर भी कोई गौर न कर अपना निर्णय दिया है। पक्षकारों के मध्य विधि पूर्ण राजीनामा किया गया है । राजीनामा विधि एवं लोकनीति के विरूद्ध न हो तो दावा मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाना चाहिये किन्तु अदालत मातहत ने इस तथ्य पर कोई गौर न कर अपना निर्णय दिया है । अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त कर वादी का दावा मुताबिक राजीनामाडिक्री किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई। बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

बहस विद्वान अभिभाषकगण बगौर समाहत की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया । राजीनामा दिनांक 3-5-2010 में प्रतिवादी सं0-8 से 13 ने विवादित आराजी से अपना हटाकर वादीगण एवं प्रतिवादी सं0-1 से 7 के नाम करने का पेश किया ।नकल जमाबन्दी सं0- 2057 से 2060 में ख0नं0 215/299, 217, 218 कुल किता-3 रकबा 10.2400 हैक्टर की खातेदारी कृष्णकुमार जगदीशप्रसाद बुद्धिप्रकाश रविप्रकाश पि0 मेघाराम महावीर प्रसाद शीशपाल पि0 दुर्गादत्त, मु0 रूकमणी बेवा दुर्गादत्त ब0हि0ब0 भगवानीराम रामकुमार पन्नालाल वासुदेव बेनी प्रसाद, शुभकरण पि0 लच्छीराम, शोभाराम प्रभातीलाल सीताराम पि0 पोखरराम के नाम दर्ज है ।जमाबन्दी सं0-2018 प्रदर्श-2 में ख0नं0 217, 215/299, 218 कुल

किता-3 रकबा 40 बीघा 10 बिस्वा की खातेदारी भूराराम वल्द चूनीलाल व लच्छीराम वल्द बींजाराम व पोकर पि0 मु0 लादूराम के नाम दर्ज है ।सम्वत 2033 से 2036 में उक्त आराजी की खातेदारी भूराराम पुत्र चूनीलाल, भगवानीराम रामकुम कुमार पन्नालाल वासुदेव बेनीप्रसाद शुभकरण्ण पि0 लच्छीराम व शोभाराम प्रभाती लाल सीताराम पि0 पोखरराम के नाम दर्ज है ।जमाबन्दी सं0-2041 से 2044 में विवादित आराजी की खातेदारी भूराराम पुत्र चून्नीलाल, भगवानीराम रामकुमार व पन्नाराम वासुदेव बेनीप्रसाद शुभकरण्ण पि0 लच्छीराम व शोभाराम प्रभातीलाल, सीताराम पि0 पोखरराम के नाम दर्ज है ।जमाबन्दी सं0-2049 से 2052 में खातेदारी मेघाराम पुत्र भूराराम महावीरप्रसाद शशिपाल पि0 दुर्गादत्त मु0 रुकमणी बेवा दुर्गादत्त ब0हि0ब0 भगवानीराम रामकुमार पन्नालाल वासुदेव बेनीप्रसाद शुभकरण्ण पि0 लच्छीराम शोभाराम प्रभातीलाल सीताराम पि0 पोखरराम के नाम दर्ज है । नामा0सं0326 के द्वारा से खातेदार मेघाराम के स्थान पर कृष्णकुमार जगदीश प्रसाद बुद्धिप्रकाश रविप्रकाश पि0 मेघाराम स्वीकार किया गया ।अदालत मातहत ने सभी तथ्यों पर गौर करने के बाद शोभाराम प्रभातीलाल सीताराम पिता पोखरराम के स्थान पर श्यामलाल, बनवारीलाल सीताराम पि0 पोखरराम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जो राजस्व रेकार्ड एवं साक्ष्य से साबित है । किन्तु अपीलान्ट का दावा रेस्पोडेन्ट संख्या-8 से 13 के दादा बींजाराम ने खाते में से नाम नहीं हटाया कब्जा हटा लिया था । यह प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड से साबित नहीं है । अदालत मातहत ने अपना निर्णय राजस्व रेकार्ड के अवलोकन के बाद जारी किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं मानते हैं ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी फतेहपुर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23-3-2011 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 1.12.2017 को सुनाया गया ।

(हस्ताक्षर) 1/12/17
(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर